प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत दिनांक 23.11.2026

थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 811/26 धारा 309(6)/352/351(2) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर , 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर , 01 खोखा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की हुई 01 मोटरसाइकिल अपाचे तथा लूटा हुआ 01 गले का हार (पीली धातु) बरामद।



संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.11.2026 को थाना बड़ौत पर आवेदक श्री विक्रान्त गौतम पुत्र स्व0 सन्तोष कुमार निवासी मौहल्ला रामनगर, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मोटरसाइकिल संख्या DL4SCX6204 पर सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आवेदक की पत्नी को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके गले में पहना हार लूट लिया गया। विरोध करने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा आवेदक के सिर पर तमंचे से वार कर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा मौके से फरार हो गए। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 811/26 धारा 309(6)/352/351(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.11.2026 को थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 811/26 धारा 309(6)/352/351(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुये उक्त मुकदमे में प्रकाश मे आये अभियुक्त सुरेन्द्रपाल पुत्र कान्ती को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त

01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की हुई 01 मोटरसाइकिल अपाचे तथा लूटा हुआ 01 गले का हार (पीली धातु) बरामद हुआ है।

अभियुक्त का एक साथी अमजद पुत्र नामालूम मौका पाकर भाग गया जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 812/2026 धारा 109(1)/317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त सुरेन्द्रपाल ने बताया कि दिनांक 21.11.2026 को उसने अपने साथी अमजद के साथ कस्बा बड़ौत में केपी मलिक मंत्री जी वाली गली के पास एक महिला से मोटरसाइकिल पर सवार होकर हार छीना था। आज भी दोनों किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर पकड़े जाने के डर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें वह घायल होकर पकड़ा गया, जबकि उसका साथी अमजद मौके से फरार हो गया। अभियुक्त के अनुसार अमजद से उसकी मुलाकात बुलन्दशहर जेल में हुई थी तथा उसे अमजद के पिता का नाम व पता ज्ञात नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुरेन्द्रपाल पुत्र कान्ती प्रसाद निवासी उत्तरांचल कॉलोनी दीनदयालपुरी बस्ती राजकीय इण्टर कॉलेज के पास नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 54 वर्ष (घायल)

गिरफ्तार अभियुक्त सुरेन्द्रपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास ----

1.मु0अ0सं0-177/12 धारा 392/120बी भादवि थाना साहिवाबाद जनपद गा0बाद
2.मु0अ0सं0 276/12 धारा 392/411 भादवि थाना साहिवाबाद जनपद गा0बाद
3. मु0अ0सं0-317/12 धारा 392/411 भादवि थाना साहिवाबाद जनपद गा0बाद
4. मु0अ0सं0-332/12 धारा 392/411 भादवि थाना साहिवाबाद जनपद गा0बाद
5.मु0अ0स0 1118/15 धारा 392 भादवि थाना साहिवाबाद जनपद गा0बाद
6.मु0अ0स0 1159/15 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिवाबाद जनपद गा0बाद
7.मु0अ0स0 1160/15 धारा 4/25 ए एक्ट थाना साहिवाबाद जनपद गा0बाद
8.मु0अ0स0 1161/15 धारा 420/411 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना साहिवाबाद जनपद गा0बाद
9. मु0अ0सं0-300/12 धारा 392 थाना इन्द्रापुरम जनपद गा0बाद
10. मु0अ0सं0-518/12 धारा 392 थाना इन्द्रापुरम जनपद गा0बाद
11. मु0अ0सं0-300/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मोदीनगर जनपद गा0बाद

12. मु0अ0सं0-1295/15 धारा 379/411/414/420 भादवि थाना इन्द्रापुरम जनपद गा0बाद
13. मु0अ0सं0-183/17 धारा 394 भादवि थाना मोदीनगर जनपद गा0बाद
14. मु0अ0सं0-927/15 धारा 392 भादवि थाना साहिवाबाद जनपद गा0बाद
15. मु0अ0सं0-957/15 धारा 420 भादविथाना साहिवाबाद जनपद गा0बाद
16.मु0अ0सं0-42/06 धारा 307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट थाना खरखौदा जनपद मेरठ
17.मु0अ0सं0-171/05 धारा 392 भादवि थाना मुण्डाली जनपद मेरठ
18.मु0अ0सं0-23/05 धारा 147/323/435/304/332/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सरूरपुर जनपद मेरठ
19.मु0अ0सं0-125/17 धारा 147/148/149/307/398/401/414/420 भादवि थाना दौराला जनपद मेरठ
20.मु0अ0सं0-126/17 धारा 25 ए एक्ट थाना दौराला जनपद मेरठ
21.मु0अ0सं0-136/17 धारा 394 भादवि थाना जानी जनपद मेरठ
22.मु0अ0स0 241/24 धारा 392/411/120बी भादवि थाना ट्रांसपोर्ट नगर जनपद मेरठ
23.मु0अ0सं0-235/16 धारा 307 भादवि थाना मन्सूरपुर जनपद मु0नगर
24.मु0अ0सं0-236/16 धारा 414/420 भादवि थाना मन्सूरपुर जनपद मु0नगर
25.मु0अ0सं0-237/16 धारा 25 ए एक्ट थाना मन्सूरपुर जनपद मु0नगर
26.मु0अ0सं0-216/24 धारा 3/25/27 ए एक्ट व 109/317(5) बीएनएस थाना सलेमपुर जनपद बु0शहर
27.मु0अ0सं0-216/24 धारा 3/25/27 ए एक्ट व 109 बीएनएस थाना अहमदगढ जनपद हापुड
28.मु0अ0सं0-29/16 धारा 25 ए एक्ट थाना हफीजपुर जनपद हापुड
29.मु0अ0स0 811/26 धारा 309(6)/352/351(2) बी.एन.एस थाना बडौत जनपद बागपत
30.मु0अ0स0 812/2026 धारा 109(1)/317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 01 फर्जी नम्बर प्लेट मोटरसाइकिल अपाची काला रंग (चोरी की सम्बंधित मु0अ0सं0 0291/26 चालानी थाना फरस बाजार थाना दिल्ली)
- 01 गले का हार (पीली धातु) (मु0अ0सं0 811/26 धारा 309(6)/352/351(2) बी.एन.एस)
- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- निरीक्षक/प्रभारी श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 निकलेश रस्तोगी थाना बडौत जनपद बागपत ।

3- उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

4- उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना बडौत बागपत ।

5- है0का0 22 अमित नागर थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

6- है0का0 813 प्रदीप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

7- का0 228 आकाश थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 23.11.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 805/26 धारा 352/115(2)/109(1)/351(2)/125 बीएनएस मे वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।



संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.11.26 को श्री हमीद खाँ पुत्र अल्ली निवासी मौहल्ला घोसियान कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ने थाना कोतवाली बागपत पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- इकबाल पुत्र महमूद 2- अनस पुत्र इकबाल 3- आरिफ पुत्र इकबाल 4- इमरान पुत्र महमूद समस्त निवासीगण मौहल्ला घोसियान कस्बा व थाना बागपत द्वारा आवेदक के पुत्र महताब व आलीम के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नीयत से ईंट पत्थर से पथराव किया गया , जिससे प्रार्थी के पुत्र का गंभीर रुप से घायल हो गया व अभियुक्तगण द्वारा आवेदक के पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 805/26 धारा 352/115(2)/109(1)/351(2)/125 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 805/26 धारा 352/115(2)/109(1)/351(2)/125 बीएनएस में वांछित 01

अभियुक्त अनस पुत्र इकबाल को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनस पुत्र इकबाल निवासी मौ0 घोसियान कस्बा बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री शारिक अली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री दलजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना छपरौली

दिनांक 23-11-2026

थाना छपरौली पुलिस ने अवैध बन्दूक के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त प्रवीन पुत्र धर्मवीर निवासी हाल पता मौ मलान कस्बा व थाना बडोत बागपत व मूल पता ग्राम सिलाना थाना छपरौली बागपत को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध बन्दूक 12 बोर बरामद हुई।



baghpatpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में नाबालिग से छेडछाड करने की घटना कारित करने के आरोपी राहुल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राहुल पुत्र जलसिंह निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 71/2021 धारा 336/354/354क भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 23.11.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राहुल को दोषी पाते हुये 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।



उ0नि0 श्री रंजीत कुमार प्रभारी मॉनिटरिंग सैल



श्री नरेन्द्र पंवार विशेष लोक अभियोजक

उ0नि0 श्री सेन्सरपाल विवेचक



का0 हरदीप कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में वादी की भतीजी का अपहरण करने की घटना कारित करनेके आरोपी शौकिन को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर 02 वर्ष के कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त शौकिन पुत्र बाबू निवासी माता कलोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के द्वारा वादी की भतीजी का अपहरण करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 458/2024 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 23.11.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त शौकिन को दोषी पाते हुये 02 वर्ष के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। अभियुक्त शौकिन को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 376 व ¾ पोक्सो में दोषमुक्त किया गया है।



उ0नि0 श्री रंजीत कुमार प्रभारी मॉनिटरिंग सैल



श्री नरेन्द्र पंवार विशेष लोक अभियोजक



नि0 श्री रामकुमार कुन्तल विवेचक

हैं0का0 रविन्द्र कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट

थाना रमाला दिनाँक 23.11.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 266/26 धारा 352/115(2)/109(1)/351(3) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक ईंट को बरामद।



संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.11.2026 को थाना रमाला पर वादी श्री शिव कुमार पुत्र भूरा निवासी बूच्चाखेडी थाना कैराना शामली ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मनीष पुत्र ब्रहमपाल 2.आलोक पुत्र योगेन्द्र निवासीगण ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वादी के पुत्र अमरीत के साथ गाली-गलोच करना व गाली-गलोच करने से मना करने पर वादी

के पुत्र अमरीत के सिर में ईंट मारकर घायल कर देना। इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 266/26 धारा 352/115(2)/109(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 266/26 धारा 352/115(2)/109(1)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त मनीष पुत्र ब्रहमपाल उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त की निशांदेही पर मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त एक ईंट को बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनीष पुत्र ब्रहमपाल उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी विवरणः-

- एक ईंट (मु0अ0सं0 266/26 की घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1-उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत
2-उ0नि0 श्री नरेशपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत
3-है0का0 60 पंकज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत

प्रेसनोट जनपद बागपत दिनांक 23-11-2026

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में पिछले 24 घंटे के दौरान वांछित/चोरों/लूटेरों एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत बागपत पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण-

वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी(कुल 02 अभियुक्त)-

1-थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 811/26 धारा 309(6)/352/351(2) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त सुरेन्द्रपाल पुत्र कान्ती प्रसाद को

बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर , 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर , 01 खोखा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की हुई 01 मोटरसाइकिल अपाचे तथा लूटा हुआ 01 गले का हार (पीली धातु) बरामद।

2-थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 805/26 धारा 352/115(2)/109(1)/351(2)/125 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त अनस पुत्र इकबाल को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

3-थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 266/26 धारा 352/115(2)/109(1)/351(3) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त मनीष पुत्र ब्रहमपाल को किया गिरफ्तार, अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक ईंट को बरामद।

अवैध शस्त्र में गिरफ्तार (कुल 01 अभियुक्त)

थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त प्रवीन पुत्र धर्मवीर निवासी हाल पता मौ मलान कस्बा व थाना बडोत बागपत व मूल पता ग्राम सिलाना थाना छपरौली बागपत को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध बन्दूक 12 बोर बरामद हुई ।

माननीय न्यायालय से अभियुक्तों को सजा दिलाई गई(कुल 02 अभियुक्त)-

1-"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में नाबालिग से छेडछाड करने की घटना कारित करने के आरोपी राहुल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

2-"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में वादी की भतीजी का अपहरण करने की घटना कारित करने के आरोपी शौकिन को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर 02 वर्ष के कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी(कुल- 02)

1-थाना सिंघावली अहीर -01

2-थाना बडौत -01

धारा 170 बीएनएसएस की कार्यवाही-(कुल 32 व्यक्ति)

1-थाना सिंघावली अहीर से 01 व्यक्ति।

2-थाना बिनौली से 02 व्यक्ति।

3-थाना खेकडा से 01 व्यक्ति।

4-थाना चांदीनगर से 14 व्यक्ति।

5-थाना बालैनी से 02 व्यक्ति।

6-थाना बडौत से 02 व्यक्ति।

7-थाना दोघट से 05 व्यक्ति ।

8-थाना रमाला से 05 व्यक्ति ।